

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक-प.19(11)शिक्षा-2/2020 जयपुर, दिनांक-31.05.2022 की अनुपालना में राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के क्रम में स्थानीय परिषद में गठित Assesment Cell में निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत तीन वर्ष के लिए किया जाता है। संबंधित संस्थाप्रधान कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

क्र.स.	नाम मय पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि
1	भूमिका जैन, व्याख्याता (रसायन विज्ञान)	राउमावि कपासन, चित्तौड़गढ़ (224236)	02.01.1985
2	राजेन्द्र सिंह देवड़ा, व्याख्याता (अंग्रेजी)	राउमावि करदा, उदयपुर (214878)	05.10.1984
3	उदयलाल नागदा व्याख्याता (संस्कृत)	राउमावि कोठारिया, राजसमन्द (222833)	17.04.1980
4	उम्मेदसिंह शेखावत व्याख्याता (रसायन विज्ञान)	राउमावि मावा, नागौर (219986)	20.07.1977
5	राज कुमार, व्याख्याता (हिन्दी)	राउमावि जखपका, उदयपुर (223628)	25.12.1991
6	नरेन्द्र श्रीमाल, व्याख्याता (जीव विज्ञान)	राउमावि महाराज की खेड़ी, भीण्डर, उदयपुर (223178)	27.12.1987

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 04.06.2022

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति(अन्य) /2022

⇒ प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
6. संबंधित अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-(सी-1,सी-2,सी-3,सी-4), कार्यालय हाजा।
7. संबंधित कार्मिक/संस्थाप्रधान।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर